

मिशन शक्ति फेज-5.0 (द्वितीय चरण) के अंतर्गत जनपद

महोबा में व्यापक जनजागरूकता अभियान संचालित

मिशन शक्ति फेज-5.0 (द्वितीय चरण) के अंतर्गत जनपद महोबा के समस्त थानों में व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन को सुदृढ़ एवं सशक्त बनाने के उद्देश्य से संचालित विशेष अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.03.2026 को जनपद महोबा में विभिन्न जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

उक्त कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद के समस्त थानों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में संपन्न कराए गए।

कार्यक्रम के अंतर्गत पुलिस टीमों द्वारा बाजारों, सार्वजनिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों एवं ग्राम/कस्बा क्षेत्रों में पहुंचकर महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद स्थापित किया गया। इस दौरान उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना गया तथा उन्हें आश्वस्त किया गया कि किसी भी प्रकार की शिकायत, उत्पीड़न अथवा आपात स्थिति में पुलिस द्वारा त्वरित सहायता प्रदान की जाएगी।

पुलिस टीमों ने महिलाओं को घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, साइबर अपराध एवं अन्य महिला संबंधी अपराधों के प्रति जागरूक करते हुए उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी। साथ ही महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, 112, 181 आदि एवं मिशन शक्ति केंद्रों की सेवाओं के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया।

कार्यक्रम के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं को आत्मरक्षा के प्रति प्रेरित करते हुए यह संदेश दिया गया कि वे किसी भी प्रकार की समस्या के संबंध में निडर होकर पुलिस से संपर्क करें।

जनपद महोबा पुलिस महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, उन्हें सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने तथा उनके प्रति होने वाले अपराधों की रोकथाम हेतु निरंतर सक्रिय एवं प्रतिबद्ध है।



UPPCS 2024 में सफलता: निरीक्षक अनिल कुमार (विशेष शाखा अभिसूचना विभाग) की पुत्री का ARTO पद पर चयन

आज का दिन जनपद महोबा पुलिस परिवार के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण एवं प्रेरणादायी रहा। पुलिस कार्यालय महोबा स्थित विशेष शाखा (अभिसूचना विभाग) जनपद महोबा में निरीक्षक पद पर तैनात श्री अनिल कुमार जी की सुपुत्री कु. तनु हरि ने UPPCS-2024 परीक्षा उत्तीर्ण कर सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (ARTO) के पद पर चयनित होकर न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे जनपद का नाम रोशन किया है।

इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में आज दिनांक 30.03.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड द्वारा पुलिस कार्यालय में श्री अनिल कुमार को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रदान की गईं साथ ही निरीक्षक को मिष्ठान खिलाकर कु. तनु हरि के उज्ज्वल एवं सुखद भविष्य की कामना भी की गई।

उल्लेखनीय है कि श्री अनिल कुमार का गृह जनपद कानपुर नगर है तथा उनकी सुपुत्री ने घर पर रहकर अपनी लगन, परिश्रम एवं दृढ़ संकल्प के बल पर यह महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जो युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है।

जनपद महोबा पुलिस परिवार द्वारा इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए कु. तनु हरि को हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की जाती हैं।



थाना पनवाड़ी की पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के नेतृत्व में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना पनवाड़ी श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित टीम के 30नि0 कमल सिंह मय हमराह का0 इन्द्रपाल चौहान द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गई।

माननीय न्यायालय, न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय महोबा में विचाराधीन भरण-पोषण वाद संख्या 427/2025, श्रीमती प्रज्ञा बनाम नीरज गुप्ता, धारा 147 BNSS से संबंधित वारंटी अभियुक्त नीरज गुप्ता पुत्र श्री कालीचरण गुप्ता निवासी अलीपुरा बस स्टैंड के पास, कस्बा व थाना पनवाड़ी, जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया।

उक्त अभियुक्त द्वारा न्यायालय के आदेशानुसार अपनी पत्नी को ₹5,000/- प्रतिमाह भरण-पोषण न दिए जाने एवं आदेश की अवहेलना करने पर कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त को माननीय न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय महोबा (अपर सिविल जज, जू0डि0) के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी/कर्मचारी-

1. 30नि0 कमल सिंह थाना पनवाड़ी जनपद महोबा ।
2. आरक्षी इन्द्रपाल चौहान थाना पनवाड़ी जनपद महोबा ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. नीरज गुप्ता पुत्र श्री कालीचरण गुप्ता निवासी अलीपुरा बस स्टैंड के पास कस्बा व थाना पनवाड़ी जिला महोबा



थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत वारंटों से संबंधित वारंटी एवं मुकदमों में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.03.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा महोदया एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री विनोद कुमार द्वारा गठित टीम के वरि० उ०नि० कन्हैयालाल मय हमराह द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गई।

माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कुलपहाड़, जनपद महोबा द्वारा निर्गत वारंट मु०सं० 924/2025, अ०सं० 262/2012, धारा 60 आबकारी अधिनियम से संबंधित वारंटी अभियुक्त शिवचरन राजपूत पुत्र वीर सिंह उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम कनकुवा थाना महोबकंठ जनपद महोबा को ग्राम कनकुवा से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त को पुलिस हिरासत में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही संपादित करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. वरि०उ०नि० कन्हैयालाल थाना महोबकंठ जनपद महोबा
2. हे०कां० राहुल कुमार थाना महोबकंठ जनपद महोबा

